न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, मुंगेर

जिला– मुंगेर (बिहार)

उपस्थित :– **राकेश कुमार सिंह,**
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय,
मुंगेर।

निर्णय की तिथि :– 22वीं जून 2026

S.T. Case No. 19/2021

CIS NO.- 19/2021

(Arising out of Muffasil P.S. Case No. 197/2020)

परिवादी/सूचक	जयराज गौतम, पिता– स्व0 घनश्याम यादव, साकिन–बॉक, थाना– मुफ्सिल, जिला– मुंगेर।
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री रामसेवक मंडल विद्वान अपर लोक अभियोजक
अभियुक्तगण	**1. शंभू यादव,** पिता–स्व0 राजकिशोर यादव, **2. अंबो यादव उर्फ अंबर यादव**, पिता– आदित्य यादव, दोनो साकिन–बॉक, थाना– मुफ्सिल, जिला– मुंगेर।
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री राजेश कुमार विद्वान अधिवक्ता

Date of offense	**15.08.2020**
Date of FIR	**20.08.2020**
Date of Charge sheet	**23.11.2020**
Date of Framing of Charges	**19.04.2025**
Date of commencement of evidence	**14.05.2025**
Date on which judgment is reserved	**20.06.2026**
Date of the Judgment	**22.06.2026**
Date of the Sentencing order, if any	**-----**

Accused Details:

Rank of the Accused	Name of the Accused persons	Date of Arrest/ Surrender	Date of Release on Bail	Offenses Charged with	Whether Acquitted or convicted	Sentence Imposed	Period of Detention undergone during Trial for purpose of section 428 Cr.P.C.
1.	शंभू यादव	------	------	Section 341,323,504, 307 I.P.C & 27 Arms Act	अभियुक्त को रिहा किया गया।	लागू नहीं। क्यो कि अभियुक्त को इस वाद में रिहा किया गया।	.....
2.	अंबो यादव उर्फ अंबर यादव	------	------	Section 341,323,504, 307 I.P.C & 27 Arms Act	अभियुक्त को रिहा किया गया।	लागू नहीं। क्यो कि अभियुक्त को इस वाद में रिहा किया गया।	.....

निर्णय

1. इस वाद में दिनांक 19.04.2025 को अभियुक्त 1. शंभू यादव 2. अंबो उर्फ अंबर यादव के विरूद्ध धारा 341,323,504,307 भा0द0वि0 एवं 27 शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत आरोप का गठन किया गया। अभियुक्तों को हिन्दी में पढ़ कर सुनाया समझाया गया, जिस पर अभियुक्तगण अपने उपर लगाये गये आरोंपो से इनकार किये तथा विचारण का दावा किये। *इस वाद मे विचारण कुल दो अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप गठन किया गया था। उसके उपरान्त एक अभियुक्त अंबो यादव उर्फ अंबर यादव उर्फ आशुतोष कुमार की मृत्यु वाद विचारण के दौरान होने के कारण उनके विरूद्ध कार्यवाही को रोक दिया गया।*
2. यह वाद सूचक जयराज गौतम के बयान के आधार पर दर्ज किया गया है, जिसमें सूचक का यह कहना है कि दिनांक 15.08.2020 को संध्या 5:00 बजे सूचक अपने गोतिया में, चचेरे भाई दीपक यादव के घर पर पंचायती करने पहुंचा। वहॉ पहले से मौजूद 1. शम्भू यादव 2. रूपेश यादव 3. अम्बो यादव 4. रवि उर्फ गैना यादव हरवे हथियार से पहले से लैस थे। रूपेश यादव ने

सूचक को मॉ बहन लगाकर गाली गलौंज देते हुए आदेश दिया कि, भैया दुश्मन सामने है, आज कहानी खत्म कर दो। इस पर रवि उर्फ गैना यादव एवं अम्बो ने सूचक को पकड़ लिया एवं शम्भु यादव जान मारने कि नियत से पिस्टल सूचक के चेहरे पर सटाकर फायर किया। परन्तु सूचक ने चेहरा घुमा लिया, जिस कारण गोली सूचक के ठुड्डी को फाड़ते हुए निकल गया एवं सूचक वही गिर गया। रूपेश यादव ने सूचक के छाती पर पिस्तौल सटाकर फायर किया। परन्तु गोली मिस फायर हो जाने के कारण सूचक की जान बच गई। तब गोली कि आवाज पर सूचक के परिवार के सदस्य एवं ग्रामीण दौड़ कर आये तो चारो भाग खड़े हुए।

इसलिए मुफ्सिल थाना कांड संख्या– 197/2020 दिनांक 20.08.2020 अन्तर्गत धारा 341/323/307/504/506/34 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट में प्राथमिकी दर्ज किया गया। अनुसंधानोपरान्त आरोप पत्र संख्या–222/2020 दिनांक 23.11.2020 अन्तर्गत धारा 341/323/307/504/506/34 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत समर्पित किया गया। जिस पर विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी के द्वारा संज्ञान लिया गया एवं वाद का विचारण हेतू दौरा–सुर्पुद कर दिया गया।

3. अभियोजन की ओर से इस वाद में निम्नलिखित साक्षियों को प्रस्तुत किया गया है :–

साक्षी सं0	साक्षी का नाम	साक्षी का प्रकार	अभ्युक्ति
1.	मनोज तांती	सामान्य साक्षी	
2.	अतुल कुमार शर्मा	सामान्य साक्षी	
3.	गौरव कुमार	सामान्य साक्षी	
4.	जयराज गौतम	सूचक	

4. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत दस्तावेंजी साक्ष्य :–

क्र0 सं0	प्रदर्श	विवरणी	अभ्युक्ति
1.	1	फर्दबयान पर सूचक जय राज गौतम का हस्ताक्षर है।	
2.	1/1	फर्दबयान पर कृष्णनंदन चौधरी का हस्ताक्षर है।	

5. बचाव पक्ष कि ओर से कोई भी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

6. अभियोजन पक्ष के साक्ष्य बंद होने के उपरान्त अभियुक्त का धारा 313 द0प्र0स0 के अन्तर्गत बयान दिनांक 15.06.2026 को दर्ज कराया गया, जिस

पर अभियुक्त अपने विरूद्ध साक्ष्यों से इनकार किये तथा अपने को निर्दोष बताया।

7. क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को युक्त–युक्त संदेहो से परे सिद्ध करने में सफल हुए है ?

8. इस वाद में अभियोजन पक्ष कि ओर से कुल चार साक्षियों का साक्ष्य कराया गया है। **साक्षी संख्या–01 मनोज तांती** अपने मुख्य परीक्षण में कहे है कि घटना दिनांक 15.08.2020 के संध्या 4:30 से 5:00 बजे के बीच की घ ाटना है। दीपक यादव और ब्रजेश यादव के घर के सामने भीड़ लगा हआ था। मैं वहॉ गया तो देखा कि दीपक यादव और ब्रजेश यादव के दरवाजे पर पंचायती हो रहा था। मुखिया प्रतिनिधि शंभू यादव पंच के रूप में थे। जय राज गौतम भी था। गोली चला। गोली शंभू यादव के पैर में लगा और जयराज गौतम को जबड़ा में लगा। *किसने गोली मारा मैं नही जानता हूॅ।* पुलिस मे मेरा बयान नही हुआ था। *चुंकि साक्षी के द्वारा घटना का समर्थन नहीं करने पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया।* **साक्षी संख्या–02 अतुल कुमार शर्मा** मुख्य परीक्षण में कहे है कि घटना 15.08.2020 की है। मैं, रूपेश यादव, विक्रम यादव, डॉक्टर संजीव और कुछ लोग विक्रम यादव के घर पर संदलपुर चौवटिया के पास बैठे हुए थे। फिर अचानक से रूपेश के मोबाईल पर कॉल आया और उनको मोबाईल पर सूचना मिला कि उनके घर में झगड़ा हुआ है और वो वहां से चले गये। आज न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त शंभू यादव है, जिसे मैं पहचानता हूॅ। ये साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण में कहे है कि रूपेश के मोबाईल 05:30 बजे के लगभग कॉल आया था। घटना के बारे में मैं और कुछ नहीं जानता हूॅ। शंभू यादव मेरे ग्रामीण है, इसलिए मैं उन्हें पहचानता हूॅ। **साक्षी संख्या–03 गौरव कुमार** अपने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण में कहे है कि यह घटना दिनांक 15.08.2020 के 04:30 से 05:00 बजे संध्या की है। पुलिस में मेरा बयान नहीं हुआ था। *चुंकि साक्षी के द्वारा घटना का समर्थन नहीं करने पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया।* आज न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त शंभु यादव है, जिसे मैं पहचानता हूॅ। ये साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण में कहे है कि अभियुक्त ग्रामीण है इसलिए मैं पहचानता हूॅ। **साक्षी संख्या–04 जय राज गौतम, सूचक** अपने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण में घटना का समर्थन करते हुए कहे है कि यह घटना 15.08.2021 की है। घटना संध्या 05:00 या 05:15

बजे का है। मैं ब्रजेश जी के घर पर था। हमलोग वहां बैठे थे तो मैं, प्रमोद यादव, ब्रजेश यादव, दीपक यादव और शंभु यादव और बहुत सारे ग्रामीण थे। पंचायती चल रहा था और दोनों पक्षों के बीच बकझक हुआ। फिर अचानक से हमारे मुंह में गोली लग गई और मैं बेहोश हो गया। बेहोश हो जाने के बाद मुझे सदर अस्पताल ले जाया गया। मुझे बेहतर ईलाज के लिए पटना रूबन हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया। आज न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त शंभु यादव है, जो मेरे ग्रामीण है, जिसे मैं पहचानता हूँ। ये साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण मे कहे है कि शंभु यादव, रूपेश यादव, अम्बो यादव उर्फ अम्बस यादव, रवि उर्फ गैना यादव सभी मेरे गांव के हैं इसलिए मैं उन्हें पहचानता हूँ। *पंचायती में मेरे गांव एवं अन्य गांव के बहुत से लोग जुटे हुए थे। उस भीड़ में किसने गोली चलाया और किसकी गोली मुझे लगी मैं नहीं बता सकता हूँ।* जिस समय मेरा फर्दबयान लिया जा रहा था, उस समय मेरी स्थिति ठीक नहीं थी और मुंह का ऑपरेशन होने के कारण मुंह बंद था। जिस समय दारोगा जी अस्पताल में मेरा बयान लेने गये थे उस समय इलाके के और भी लोग मौजूद थे। *फर्दबयान में क्या लिखा गया उस समय पढ़ने के स्थिति में नहीं था और न ही सुनने के स्थिति में। मैंने दारोगा जी के कहे अनुसार अपना हस्ताक्षर बना दिया था।*

मन्तव्य

9. अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि यह प्राथमिकी जयराज गौतम के फर्दबयान पर दर्ज किया गया है, जिसमें अभियुक्तगण के विरूद्ध गोली से फायर करने और जान से मारने का आरोप लगाया गया है। इसी आशय का मुफ्सिल थाना कांड 197/2020 दिनांक 20.08.2020 अन्तर्गत धारा 341/323/307/504/506/34 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट दर्ज किया गया, जिसमें अनुसंधानोपरान्त आरोप पत्र धारा 341/323/307/504/506/34 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स के अन्तर्गत दो अभियुक्त शंभु यादव एवं अंबो उर्फ अंबर यादव के विरूद्ध समर्पित किया गया। वाद विचारण के दौरान अभियुक्त अंबो उर्फ अंबर यादव के मृत्यु हो जाने के उपरान्त इनका विचारण रोक दिया गया।

10. वाद विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा सूचक सहित कुल चार साक्षियों का परीक्षण कराया गया। साक्षी संख्या–01 एवं 03 अभियोजन केस का समर्थन नही किये है तथा इसे पक्षद्रोही घोषित किया गया है। साक्षी संख्या–02

घटना के चश्मदीद साक्षी नही है, बल्कि इन्हें किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा घ ाटना के बारे में ज्ञात हुआ। साक्षी संख्या–4, सूचक भी घटना का समर्थन नहीं किये है और उनका कहना है कि पंचायती के दौरान दोनो पक्षों में बकझक हुआ और उसी दौरान मेरे मुॅह में गोली लग गयी। प्रतिपरीक्षण के पारा–09 में उनका कहना है कि किसने यह गोली चलाया, मैं नही बता सकता हूॅ। पारा–10 में सूचक का कहना है कि जिस समय फर्दबयान लिया जा रहा था, उस समय मेरी स्थिति ठीक नहीं थी और मुॅह ऑपरेशन के कारण बंद था। पारा–12 में उनका कहना है कि आवेदन मे क्या लिखा है, उस समय मैं सुनने कि स्थिति में नहीं था।

11. उपरोक्त साक्षियों के साक्ष्य के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि इस केस मे किसी सूचक सहित किसी भी साक्षी ने घटना का समर्थन नहीं किया है। इसप्रकार सूचक एवं अन्य साक्षी के दिये कथन का विश्लेशन करने पर उनका कथन काफी विरोधाभाषी प्रतीत होता है और अभियोजन केस का समर्थन नहीं किये है। उपरोक्त साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय यह पाती है कि अभियोजन अभियुक्तों पर लगाये गये आरोप को संदेह से परे साबित करने में बिल्कुल असफल रहा है। जबकि यह अभियोजन का दायित्व है कि आरोप को संदेह से परे साबित करें।

12. अतः उपरोक्त तथ्यों एवं साक्ष्यों के विश्लेशन से न्यायालय यह पाती है कि अभियोजन अभियुक्तों पर लगाये आरोप को साबित नहीं कर पाया है। इसलिए

आदेश

13. अभियुक्त **शंभू यादव** को धारा **341,323,504,307 भा0द0वि0 एवं 27 शस्त्र अधिनियम** के अन्तर्गत निर्दोष पाते हुए सभी को आरोपों से बरी किया जाता है तथा उनके जमानतदारों को बंधपत्र के दायित्व से मुक्त किया जाता है।

लेखापित, संशोधित एवं हस्ताक्षरित

(राकेश कुमार सिंह)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय
मुंगेर।
22.06.2026

(राकेश कुमार सिंह)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय
मुंगेर।
22.06.2026